/ १५०

संख्याः 1171/XXIV-3/12/02(01)11

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3   देहरादून, दिनांकः 24 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2012

विषयः राज्य के पॉच जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उधमसिंहनगर एवं बागेश्वर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन लोक निजी सहभागिता **(Public Private Partnership Mode)** में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/रा0गां0न0वि0/18187/2011–12 दिनांक 24 जून, 2011 व पत्रांक/श्या0प्र0मु0अ0वि0/56262 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2011 एवं पत्रांक/श्या0प्र0मु0अ0वि0/61470 दिनांकः 09 नवम्बर, 2011 तथा पत्रांक/श्या0प्र0मु0अ0वि0/64480 दिनांकः 26 नवम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के प्रत्येक जनपद के निर्बल एवं गरीब तथा प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों के पैटर्न पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना किये जाने की राज्य सरकार की संकल्पना के दृष्टिगत राज्य में तत्समय 08 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी थी। राज्य के जिन जनपदों में तत्समय राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं हो पायी थी उन 05 जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उधमसिंहनगर एवं बागेश्वर में इन विद्यालयों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालय के नाम से संचालित किया गया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है, किन्तु श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं होने से इन विद्यालयों का संचालन अन्यत्र राजकीय विद्यालयों में करना पड़ रहा है। इन 05 विद्यालयों को जिन राजकीय विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है उन विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में कक्षा–कक्ष व आवास न होने से कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त के अतिरिक्त इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग हेतु भी अलग से कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। विद्यालयों का आवासीय स्वरूप होने के कारण तथा इनकी आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां भिन्न होने के फलस्वरूप निदेशालय/मण्डल/जिला स्तर पर इन विद्यालयों के संचालन में कठिनाइयां आ रही है। अतः दीवारीखोल बनचोरा (उत्तरकाशी), सुमाडी भरदार (रूद्रप्रयाग), सलियाणा गैरसैण (चमोली), अमसरकोट (बागेश्वर) एवं तुमडिया रैविन्स जसपुर (उधमसिंहनगर) श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों का नाम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिवर्तित करते हुए इन विद्यालयों में इण्टर स्तर पर कक्षा–6 से कक्षा 12 तक की विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु इन विद्यालयों को **लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership Mode)** के अन्तर्गत इन विद्यालयों का निर्माण, संचालन एवं अनुश्रवण सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से निम्नवत् संपादित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(अ) लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले इन विद्यालयों को निम्नवत् चिन्हित किया गया है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थान	प्रत्येक विद्यालय हेतु अधिकतम छात्र संख्या	सरकारी छात्रों को कम से कम आरक्षित संख्या
01	उत्तरकाशी	दीवारीखोल बनचोरा	420	210
02	रूद्रप्रयाग	सुमाड़ी भरदार	420	210
03	चमोली	सलियाणा गैरसैण	420	210
04	बागेश्वर	अगसरकोट	420	210
06	ऊधमसिंह नगर	तुमड़िया रॉबिन्स जसपुर	840	420

उपरोक्त विद्यालयों में से गैरसैण (चमोली) के विद्यालय हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास एवं निर्माण निगम लि0 को योजना की DPR (Detailed Project Report) बनाये जाने हेतु रू0 30.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी थी। इस कारण लोक निजी सहभागी को गैरसैण चमोली विद्यालय के निर्माण हेतु योजना की कुल लागत के सापेक्ष प्रदान की जाने वाली धनराशि में से रू0 30.00 लाख की धनराशि कम करते हुए इस विद्यालय के लिए धनराशि प्रदान की जायेगी।

(ब) प्रस्तावित ढाँचा (The Proposed project structure)

राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन लोक निजी साझेदार /प्राईवेट पार्टनर द्वारा 30 वर्ष के लिए किया जायेगा जिसमें 2 वर्ष की अवधि विद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य हेतु तथा 28 वर्ष की अवधि विद्यालयों के संचालन के लिए निर्धारित रहेगीं। उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली तथा बागेश्वर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अधिकतम छात्र/छात्राओं की संख्या 420 होगी तथा उधमसिंहनगर के विद्यालय हेतु छात्र/छात्राओं की अधिकतम संख्या 840 होगी। राज्य सरकार द्वारा प्राईवेट पार्टनर को अधिकार/रियायत (Concession) जिसमें भूमि को बंधक पर रखे जाने एवं लीज पर दिये जाने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, के तहत निःशुल्क भूमि अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति **(leave and licence)** पर उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का ही रहेगा। उक्त 30 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात लोक निजी सहभागी/प्राईवेट पार्टनर द्वारा इन विद्यालयों की भूमि/भवन एवं अन्य परिसम्पत्तियां राज्य सरकार को रियायत अनुबन्ध **(Concession Agreement)** की संगत धारा के अनुरूप पूर्णरूप से हस्तान्तरित किये जायेगें। लोक निजी सहभागी द्वारा सी0बी0एस0ई0मानकों के आधार पर विद्यालय संचालित किये जायेगे तथा उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा:

क्र0 सं0	व्योरा	विवरण	
1–	लोक निजी सहभागिता प्रणाली	निर्माण कार्य/संचालन/हस्तान्तरण **(BOT)**	
2–	अवधि	30 वर्ष	
3–	अधिकार/रियायत **(Concession)** की प्रकृति	(a) सरकार भूमि अधिकार/रियायत **(Concession)** के तहत अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति **(leave and licence)** पर उपलब्ध करायेगी। (b) प्रति राज्य उपलब्ध कोष की अवभिन्नता। (c) राजस्व बजट प्रति सरकारी प्रायोजित छात्र। (d) वास्तविक मूल्य प्रतिमाह प्रति छात्र खुली निविदा के द्वारा। (e) प्रत्येक 02 वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि।	
4–	परिषदीय सम्बद्धता	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0)	
5–	विद्यालय का प्रकार	आवासीय इण्टर स्तर (कक्षा 6 से 12)	
6–	छात्र अनुपात	50 प्रतिशत सरकारी	50 प्रतिशत सरकार द्वारा चयनित/ प्रायोजित
		50 प्रतिशत गैर सरकारी	50 प्रतिशत गैर सरकारी साझेदार द्वारा चयनित/ प्रायोजित
7–	शुल्क नियम	सरकारी	सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा
		गैर सरकारी साझेदार	बाजार दर के आधार पर शुल्क ले सकेंगे।

2– प्राईवेट पार्टनर/साझेदार की भूमिका (Role of PPP Partner)

(क) विद्यालयों का निर्माण, डिजाईन, वित्त, विनिर्माण, परिचालन एवं प्रोजेक्ट सुविधाओ का अनुरक्षण करना।

(ख) लोक निजी सहभागी/प्राईवेट पार्टनर द्वारा विद्यालय भवन के विकास हेतु कम से कम जवाहर नवोदय विद्यालयों के मानकों/नियमों के अनुरूप मानकों/नियमों को लागू करने हेतु बाध्य होगें तथापि प्राईवेट पार्टनर/साझेदार भवन विकास हेतु उच्चतर विशिष्टियों को अपनाने हेतु भी स्वतंत्र होंगे।

(ग) कक्षा 12 तक के विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 से प्राप्त करना व प्रतिधारण करना।

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (एन0सी0टी0ई0) के अनुपालनीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित योग्यता प्राप्त (अर्ह) प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त करना एवं प्रतिधारण करना। प्राईवेट पार्टनर द्वारा शिक्षकों की तैनाती छात्र–अध्यापक अनुपात (1:30) के आधार पर की जायेगी।

(ड.) सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्डस का रखरखाव, नामांकन तथा प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्रत्येक विद्यार्थी का नामांकन एवं प्रदर्शन स्तर के रिकॉर्ड का रखरखाव करना होगा।

(च) विद्यालय परिसर के शैक्षिक, आवासीय एवं प्रशासनिक खण्ड को परिचालित एवं अनुरक्षित करना।

(छ) सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त आवास एवं भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराना।

(ज) उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा, 95 प्रतिशत सफलता दर से उपलब्ध कराना।

(झ) सभी नियमबद्ध/वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना।

(ञ) प्रौजेक्ट अवसंरचना के अप्राधिकृत प्रयोग को निषेध करना।

(ट) समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3– विद्यालयी शिक्षा विभाग की भूमिका (Role of Department of School Education)

(क) निविदा दस्तावेज जारी करना, पारदर्शी निविदा संचालन (बोली) सुनिश्चित करवाना तथा निजी सहभागी साझेदार का चयन करना।

(ख) निजी सहभागी के साथ अनुबन्ध करवाना।

(ग) पूँजी एवं राजस्व अनुदान हेतु बजट में प्रावधान करवाना।

(घ) लेखा परीक्षण एवं अनुश्रवण।

(ड.) अनुबन्ध प्रबन्धन।

(च) जागरूकता।

4– सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को सुविधाएं (Facilities to Government Sponsored Students)

निजी सहभागी द्वारा विद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित निःशुल्क सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना :–

(i) कक्षा–6 से 12 वीं तक विद्यालयी शिक्षा निःशुल्क।

(ii) आवास तथा भोजन एवं दैनिक उपयोग की सुविधाएं।

(iii) ग्रीष्म एवं शीतकालीन विद्यालयी गणवेश/वर्दी/यूनिफार्म के दो सैट उपलब्ध कराना।

(iv) पाठ्य–पुस्तकें।

(v) क्रीड़ा, पुस्तकालय, शैक्षिक भ्रमण एवं अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों की सुविधाओं का उपयोग।

5– मुख्य जोखिम मूल्यांकन (Major Risk Assessment)

(क) जोखिम विवरण (Risk Details):– सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता उप नियमों के तहत विद्यालय का किसी भी प्रकार से सम्पत्ति हस्तांतरण किसी एक समिति/प्रबन्धक ट्रस्ट के द्वारा किसी अन्य समिति/प्रबन्धकीय ट्रस्ट को अनुबन्ध एवं विक्रय प्रपत्र के लिए अनुमन्य नहीं होगी। यदि ऐसा स्पष्टतया या निहितार्थ पाया जाता है तो राज्य सरकार को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से तत्काल प्रभाव से सम्बद्धता समाप्त कराने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि सरकार या निजी क्षेत्र के सहभागी के कार्य संपादन में **(Event of default)** की स्थिति अथवा किसी चूक के कारण किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता निरस्त होने की दशा में इस जोखिम को कम करने के लिए अनुबन्ध में प्राविधान किये गये जो कि निम्न प्रस्तर–ख में उल्लिखित है:–

(ख) जोखिम नियंत्रण (Risk Control)

(i) निजी सहभागी/साझेदार द्वारा विद्यालय की सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता एक Special Purpose Vehicle (SPV) के नाम पर ली जायेगी।

(ii)) विद्यालयी शिक्षा विभाग अहस्तांतरणीय (Golden Share) अपने पास Special Purpose Vehicle (SPV) के अधिकार स्वरूप रखेगा।

(iii) यदि निजी सहभागी/साझेदार ही अपनी जिम्मेदारी को वापस लेता है तो विद्यालयी शिक्षा विभाग (DOSE) को सभी अधिकार स्वयं ही हस्तांतरित हो जायेंगे।

(iv) विद्यालयी शिक्षा विभाग समाप्ति पर भुगतान अग्रलिखित बिन्दु संख्या: 6 में उल्लिखित विवरण के अनुसार करेगा।

(v) पर्यावसान के कारण विद्यालय शिक्षा विभाग नवीन गैर सरकारी साझेदार को नए नियमों व दशाओं के अनुरूप प्रतिस्थापित करेगा।

6. पर्यावसान भुगतान (Termination Payments)

(अ) लोक निजी सहभागी की कार्य सम्पादन में चूक के कारण पर्यावसान भुगतान (Termination Payments on account of PPP Partner Event of Default)

1. निम्न का अवमूल्यित निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत जैसा कि एक प्रतिष्ठित मूल्यांकनकर्ता विशेषज्ञ के द्वारा निर्धारित:–

(क) वास्तविक सम्पत्ति अथवा अचल सम्पत्ति जिसे प्राधिकरण लेना चाहें।

(ख) चल सम्पत्ति जिसे प्राधिकरण लेना चाहें।

(ग) निजी क्षेत्र/अनुदानग्राही द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अधीन सरकार/विभाग को देय धनराशि घटाकर।

2. वित्तीय अनुबन्ध के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत की धनराशि के सापेक्ष में देय कर्ज को राशि।

(ब) विद्यालयी शिक्षा विभाग की कार्य संपादन में चूक के कारण–पर्यावसान भुगतान (Termination Payments on account of DoSE Event of Default)

(क) बकाया ऋण

(ख) प्रतिष्ठित मूल्याँकनकर्ता के द्वारा निर्धारित विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित निजी क्षेत्र निवेशित धन का उचित बाजार मूल्य (निजी क्षेत्र द्वारा सरकार/विभाग को देय धनराशि घटाकर)।

7– अनुदान–संरचना (Grant Structure)

(1) उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना (Viability Gap Funding Scheme)

(क) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राशि (व्यवहार्यता अनुदान) को पूंजी अनुदान राशि **(Capital Grant)** के रूप में निर्माण की अवधि में दिया जायेगा। इस राशि का निर्धारण निविदा में प्राप्त निम्नतम् बोली के आधार पर होगा जोकि अधिकतम सीमा (योजना के पूंजी व्यय का 50 प्रतिशत पर्वतीय और 33 प्रतिशत मैदानी) तक ही मान्य होगी

(ख) उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रति स्कूल व्यवहार्यता अनुदान की सीमा निम्नवत् होगी :—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थान	व्यवहार्यता अनुदान	कुल योजना लागत (रू0 करोड़ में)
01	उत्तरकाशी	दिवारीखोल बनचोरा	50 प्रतिशत योजना लागत	13.35 प्रति योजना
02	रूद्रप्रयाग	सुमाड़ी भरदार	50 प्रतिशत योजना लागत	
03	चमोली	सलियाना गैरसैण	50 प्रतिशत योजना लागत	
04	बागेश्वर	अमसरकोट	50 प्रतिशत योजना लागत	
05	ऊधम सिंह नगर	तुमड़िया रेविन्स जसपुर	33 प्रतिशत योजना लागत	20.35 प्रति योजना

व्यवहार्यता अनुदान भुगतान के प्रयोजन हेतु वास्तविक परियोजना की लागत की गणना उत्तराखण्ड व्यवहार्यता अनुदान कोष 2008 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिचालन अनुदान (Operating Grant)

(i) निविदादाता निविदा में सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष राशि की निविदा देगा। इस राशि को प्रति दो वर्ष में 10 प्रतिशत से बढ़ाने की व्यवस्था दी जायेगी।

(ii) सरकार द्वारा वास्तविक परिचालन अनुदान त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(3) धन मूल्य का वास्तविक लाभ (Value For Money)

(i) योजना को लोक निजी सहभागिता में संचालन करने से सरकार को हुई कुल बचत के वर्तमान मूल्य योजना का धन मूल्य (VfM),होगा।

(ii) यदि राज्य सरकार योजना का निर्माण, अनुरक्षण, संचालन (2 वर्ष निर्माण 28 वर्ष संचालन) स्वयं करती है तो योजना की कुल लागत का वर्तमान मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र संतुलक (**Public Sector Comparator-PSC**) कहलाता है। इसके आधार पर राज्य सरकार को निम्नवत् बचत होगी:—

सार्वजनिक क्षेत्र संतुलक एवं धन मूल्य (PSC and Value-For-Money)

विवरण		राज्य सरकार द्वारा (पीएससी)	लोक निजी सहभागी द्वारा (पीपीपी)	बचत
		840 छात्र/छात्रायें		
पूंजी				
पूंजी लागत		20.35		
उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना			6.71	
योग		20.35	6.71	13.63
संचालित अनुदान				
संचालन और प्रबंधन लागत		58.58		58.58
संचालन लागत			29.06	−29.06
योग		58.58	29.06	29.52
जोखिम				
योजना की लागत बढने से पुनरीक्षित लागत	10%	2.03		2.03
कुल वर्तमान लागत		80.96	35.77	45.19

विवरण		राज्य सरकार द्वारा (पीएससी)	लोक निजी सहभागी द्वारा (पीपीपी)	बचत
		420 छात्र/छात्रायें		
पूंजी				
पूंजी लागत		13.35		
उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना			6.67	
योग		13.35	6.67	6.67
संचालित अनुदान				
संचालन और प्रबंधन लागत		31.88		31.88
संचालन लागत			16.17	−16.17
योग		31.88	16.17	15.71
जोखिम				
योजना की लागत बढने से पुनरीक्षित लागत	10%	1.33		1.33
कुल वर्तमान लागत		46.56	22.84	23.72

8– अन्य शर्तें

(i) अनुबन्ध की समय सीमा 30 वर्षो के बाद private partner से अनुबन्ध का पुनः नवीनीकरण करना होगा या सृजित परिसम्पत्तियॉ स्वतः राज्य सरकार में निहीत हो जायेगी।

(ii) viablity gap funding के लिए परिव्यय/बजट की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए प्र0वि0 को वार्षिक योजनाओं में इसकी व्यवस्था करनी होगी।

(iii) पूंजीगत एवं राजस्व व्यय निजी पार्टनर द्वारा वहन किया जाना तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता राज्य सरकार द्वारा sponsored छात्रों से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति तक सीमित रखा जाना होगा।

(iv) गुणवत्ता शिक्षा व सुविधाओं की सुनिश्चितता हेतु समुचित अनुश्रवण प्रणाली भी विकसित की जानी होगी।

(v) उपर्युक्त के अतिरिक्त पीपीपी के सर्वमान्य मानकों के अनुसार ही एक पारदर्शी एवं प्रत्यक्षदर्शी प्रकिया के अनुसार परियोजना आवंटित एवं संचालित की जायेगी।

(vi) अनुबन्ध में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रतिछात्र शुल्क प्रतिपूर्ति एवं निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी है जबकि प्राईवेट द्वारा भवन निर्माण, अध्यापकों की पूर्ति एवं अन्य आवासीय एवं प्रबन्धकीय व्यवस्थायें की जायेगी। संस्था द्वारा पी0पी0पी0मोड के अन्तर्गत BOT Model (Built Operate Transfer) में काम करेंगी।

(vii) सरकार द्वारा प्राईवेट पार्टनर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा। भुगतान प्रति छात्र निर्धारित लागत के आधार पर किया जायेगा जिसमें 02 वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्वि की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1171/XXIV-3/12/02(01)11 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
10– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– गोपन अनुभाग, (मंत्रिपरिषद्) उत्तराखण्ड शासन।
12– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
14– पी0पी0पी0 विशेषज्ञ, पी0पी0सेल, उत्तराखण्ड शासन।
15– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ कर उक्त की 30–30 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव